

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4647
दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशी जेलों में विचारणाधीन कैदी

4647. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विदेशी जेलों में बंद दोषसिद्ध भारतीय नागरिकों, कामगारों और महिलाओं सहित विचारणाधीन कैदियों का संज्ञान लिया है;
- (ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान आज की तिथि तक तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) ये कैदी किन-किन राज्यों से हैं;
- (घ) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान कैदियों के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए किसी अन्य देश के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क)से(ग) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में विदेशी जेलों में विचारणाधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या 10,152 है। देश-वार सूची अनुबंध 'क' में दी गई है। तथापि, कई देशों में विद्यमान सख्त निजता कानूनों के कारण, तब तक स्थानीय प्राधिकारी कैदियों के बारे में जानकारी साझा नहीं करते हैं जब तक कि संबंधित व्यक्ति ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमति न दे। यहां तक कि जो देश सूचना साझा करते हैं, वे भी आमतौर पर जेल में कैद विदेशी नागरिकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। विदेशी जेलों में कैद भारतीयों की संख्या परिवर्तनीय होती है, क्योंकि हर सप्ताह बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां और रिहाइयां होती रहती हैं।

(घ)एवं(ङ) यद्यपि सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान कैदियों के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिए किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं; इनके पास दंडित व्यक्तियों के स्थानांतरण के संबंध में कुल 31 द्विपक्षीय करार मौजूदा हैं, जिनके आधार पर विदेशी जेलों में बंद भारतीय कैदियों को उनकी सजा की शेष अवधि काटने के लिए भारत में भेजा जा सकता है और यही बात भारतीय जेलों में बंद विदेशी कैदियों पर भी लागू होती है। ये समझौते ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बोस्निया और हर्जगोविना, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, मिस्र, एस्टोनिया, फ्रांस, ईरान, इजरायल, इटली, कजाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, मंगोलिया, कतर, रूस, सऊदी अरब, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम के साथ किए गए हैं।

भारत ने सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण के संबंध में दो बहुपक्षीय कन्वेंशनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, अर्थात् विदेश में आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता व्यक्तियों से संबंधित अंतर-अमेरिकी कन्वेंशन

और सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण संबंधी यूरोप परिषद कन्वेन्शन, जिसके आधार पर इस कन्वेन्शन में शामिल सदस्य राष्ट्रों और अन्य देशों के सजायाफ्ता व्यक्ति, अपनी सजा की शेष अवधि काटने के लिए अपने मूल देशों में स्थानांतरण की मांग कर सकते हैं।

क्र. संख्या	देश	वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन और दोषी करार दिए गए भारतीयों की कुल संख्या
1	अफ़ग़ानिस्तान	8
2	अंगोला	2
3	अर्जेंटीना	1
4	आर्मीनिया	39
5	ऑस्ट्रेलिया	27
6	अज़रबैजान	10
7	बहरीन	181
8	बांग्लादेश	4
9	बेलारूस	9
10	बेल्जियम	1
11	भूटान	69
12	ब्रूनेई दार-ए-सलाम	6
13	कंबोडिया	22
14	कनाडा	23
15	चिली	1
16	चीन	173
17	कांगो	5
18	कोटे डी आइवर	14
19	क्रोएशिया	3
20	क्यूबा	2
21	साइप्रस	21
22	डेनमार्क	1
23	मिस्र	1
24	इथियोपिया	4
25	फ़्रांस	45
26	जॉर्जिया	45
27	जर्मनी	25
28	ग्वाटेमाला	2
29	गिनी	2
30	इंडोनेशिया	21
31	ईरान	18
32	इराक	1
33	आयरलैंड	5
34	इज़राइल	4
35	इटली	168
36	जमैका	1

37	जापान	6
38	जॉर्डन	28
39	कजाखस्तान	3
40	केन्या	4
41	कुवैत	387
42	किर्गिस्तान	4
43	लाओस	6
44	लेबनान	2
45	लिथुआनिया	1
46	मेडागास्कर	1
47	मलावी	1
48	मलेशिया	338
49	मालदीव	10
50	माली	1
51	माल्टा	5
52	मॉरीशस	10
53	मेक्सिको	1
54	मोरक्को	2
55	मोजाम्बिक	5
56	म्यांमार	27
57	नेपाल	1317
58	नाइजीरिया	3
59	उत्तर मैसेडोनिया	5
60	ओमान	148
61	पाकिस्तान	266
62	फिलीपींस	44
63	पोलैंड	7
64	कतर	611
65	कोरिया गणराज्य	4
66	रूस	27
67	रवांडा	3
68	सऊदी अरब	2633
69	सेनेगल	5
70	सर्बिया	4
71	सिंगापुर	92
72	दक्षिण अफ्रीका	8
73	स्पेन	34
74	श्रीलंका	98
75	स्विट्जरलैंड	1
76	ताजिकिस्तान	1
77	थाईलैंड	37
78	त्रिनिदाद और टोबैगो	1

79	तुर्किये	3
80	संयुक्त अरब अमीरात	2518
81	युगांडा	11
82	यूनाइटेड किंगडम	288
83	यूएसए	169
84	उज्बेकिस्तान	3
85	वियतनाम	4
86	जिम्बाब्वे	1
		10152
